महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण / समयबद्ध

पत्र संख्या-एस0एस0-अधिक्षेत्र समीक्षा-2016-17/ 962 / वाणिज्य कर

कार्यालय : कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0 ।
(संख्या अनुभाग)
लखनऊ : दिनॉक : 27/12/,2016

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर एवं
समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्य0) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

विभागीय स्तर पर करायी गयी विभिन्न जॉचों एवं प्रदेश के विभिन्न अधिवक्ता संगठनों एवं व्यापारिक संघों द्वारा यह संज्ञान में लाया गया है कि प्रदेश के सभी मण्डल कार्यालयों में विशेषकर व्यापारिक और औद्योगिक शहरों में कतिपय ऐसे व्यापारी विभाग में नये या गत वर्ष में पंजीकृत हुए हैं, फर्जी टैक्स इनवाईस जारी कर रहे हैं, फार्म-38 डाउनलोड करके उसकी बिक्री कर रहे हैं और इनके व्यापार स्थल के अंकित पते भी फर्जी होने की सम्भावना हैं, ऐसे व्यापारी संगठित करापवंचन में लिप्त हैं । इनके विरुद्ध विभाग में तत्काल कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है, ताकि ईमानदार व्यापारी वर्ग का व्यापार सहज रुप से चल सके और विभाग को देय कर प्राप्त हो सके ।

उपर्युक्त के प्रकाश में आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक जोनल एडीशनल कमिश्नर व ज्वाइंट कमिश्नर (कार्य0) माह जनवरी-2016 में अपनी सुविधानुसार दि0 16-01-2017 तक प्रतिदिन अपने जोन व सम्भाग के कम से कम दो असिस्टेण्ट कमिश्नर व दो वाणिज्य कर अधिकारियों को बुलाकर उनके अधिक्षेत्र में पंजीकृत फर्मों का निम्नवत् अनुश्रवण व विश्लेषण करके इस कार्यालय को अवगत करायें ।

1. वाणिज्य कर अधिकारी के स्तर पर पंजीकृत फर्मों में से कितनी फर्म्स वर्ष 2015-16 या उसके उपरान्त नई पंजीकृत हुई हैं और उनमें से कितनी फर्म्स द्वारा लगातार तीन माह से रिटर्न फाईल नहीं किया गया है तथा सम्बन्धित अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है, यथोचित कार्यवाही न होने पर अधिकारी का स्पष्टीकरण लिया जाये ।

2. वाणिज्य कर अधिकारी के स्तर पर उपलब्ध समस्त फर्मों में से यदि किसी फर्म द्वारा रु0 25 लाख टर्नओवर से अधिक का माल ई-संचरण से परिवहित करके मॅगाया गया है तो उसका अधिक्षेत्र उच्च स्तर के अधिकारी को क्यों नहीं ट्रांसफर किया गया । फर्म का वास्तविक टर्नओवर प्रकाश में आने पर किनके आदेश के अन्तर्गत अथवा किन कारणों से उक्त फर्म अभी भी वाणिज्य कर अधिकारी के स्तर पर ही प्रचलित है । कृपया इस सम्बन्ध में दोषी अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाये ।

3. प्रकाश में आई ऐसी करापवंचित फर्म द्वारा कितना राजस्व जमा किया गया है तथा कितनी धनराशि की आई0टी0सी0 समायोजित की गई अथवा रिफण्ड का दावा किया गया है । डीलर्स द्वारा जमा किये गये कर से अधिक आई0टी0सी0 का दावा करके करापवंचन किये जाने अथवा फर्म को अनुचित लाभ प्राप्त होने में किस स्तर पर लापरवाही की गई है । ऐसे डीलर्स के पंजीयन स्थल व पंजीयन में संसूचित वस्तु के व्यापारिक संव्यवहारों का भौतिक सत्यापन कराया जाये और निष्कर्षों से अवगत कराया जाये ।

4. उक्त के अतिरिक्त प्रत्येक वाणिज्य कर खण्डों में डिप्टी कमि0 / असिस्टेंट कमि0 / वाणिज्य कर अधिकारी स्तर पर नियत की गयी वार्षिक टर्नओवर की मौद्रिक सीमा के अनुरूप व्यापारियों के अधिक्षेत्र / कार्य विभाजन करके अनुपालन आख्या भिजवाना सुनिश्चित करें ।

27/12/16

(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश ।